रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1982/पौष 3, 1904

No. 392] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 1982/PAUSA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली 24, दिसम्बर, 1982

सा० का० नि० 773(अ) —केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 17 की उपधारा (2) और धारा 123 के खंड (क) के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम न्हावा शेवा पत्तन न्यास समिति के अधिवेशनों की प्रक्रिया विनियम, 1982 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं —(1) इन विनियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न होंगे।

(क) अधिनियम, से महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है।

(ख) "समिति" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।

3. समिति के अधिवेशन—समिति के अधिवेशन मुम्बई/दिल्ली में और ऐसी तारीखों पर होंगे जो समिति के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

4. कार्यसूची के कागज पत्रों का परिचालन—समिति के विशेष अधिवेशन से भिन्न किसी अधिवेशन के लिए कार्यसूची से संबंधित कागज पत्र अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों में परिचालित किए जाएं और विशेष अधिवेशन की दशा में सदस्यों में अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व परिचालित किए जाएं तथा विशेष अधिवेशन की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व परिचालित किए जाएंगे।

5. समिति द्वारा कामकाज के सब्यवहार के लिए गणपूर्ति—समिति का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का दो-तिहाई भाग होगी।

6. समिति का सभापति—समिति के किसी सदस्य को बोर्ड द्वारा समिति के सभापति के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

7. अधिवेशनों का सभापतित्व—समिति का सभापति समिति के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य उन अधिवेशनों का सभापतित्व करने के लिए अपने में से अध्यक्ष चुन सकते हैं।

8. कार्यसूची में सम्मिलित न की गई मदों पर विचार विमर्श समिति के अधिवेशन में (जिसके अन्तर्गत विशेष अधिवेशन है) ऐसी किसी मद को जो पहले से कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है विचार-विमर्श के लिए सम्मिलित कर सकता है यदि उसकी राय में वह इतनी महत्वपूर्ण या आवश्यक है कि उसे समिति के किसी पश्चात्‌वर्ती अधिवेशन में विचार के लिए रोक कर नहीं रखा जा सकता है।

9. समिति के अधिवेशन में विनिश्चय समिति के अधिवेशन में सभी विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे और ऐसी प्रस्थापना के जिसके संबंध में मतदान किया जाता है पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने की दशा में अधिवेशन में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

10. मतदान—यदि समिति के किसी सदस्य द्वारा मतदान की मांग की जाती है तो अधिवेशन में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा मत देने वाले व्यक्तियों के नाम और उनके मतों की प्रकृति अभिलिखित की जाएगी।

11. अधिवेशनों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त—

(1) समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त अधिवेशन समाप्त होने पर अधिवेशन का सभापतित्व करने वाला व्यक्ति अभिलिखित करेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के नाम कार्यवृत्त में अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) ऐसे प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त अगले अधिवेशन में बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे।

12. अधिवेशन का स्थगन—समिति के अधिवेशन में सभापतित्व करने वाला व्यक्ति अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की सहमति से उसे किसी पश्चात्‌वर्ती तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा, ऐसी तारीख की घोषणा या तो उसी अधिवेशन में की जाएगी, ऐसी दशा में अधिवेशन में अनुपस्थित सदस्यों को तुरन्त सूचना भेजी जाएगी या ऐसी तारीख के बारे में सभी सदस्यों को ऐसी तारीख से कम-से-कम तीन दिन पूर्व सूचित किया जाएगा।

13. विशेष अधिवेशनों का बुलाया जाना—बोर्ड का अध्यक्ष समिति का विशेष अधिवेशन स्वप्रेरणा से बुला सकेगा और समिति के कम से कम दो सदस्यों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर बुलाएगा।

[सं० पी० डब्ल्यू/पी जी एल-12/82]

एस० पी० अम्बरोस, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

Ports Wing

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 1982

G.S.R. 773(E).—In exercise of the powers conferred by section 126, read with sub-section (2) of section 17 and clause (a) of section 123, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the first regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Nhava Sheva Port Trust (Procedure at Committee Meetings) Regulations, 1982.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(b) "Committee" means a Committee constituted under sub-section (1) of section 17 of the Act.

3. Meetings of a Committee—The meeting of a Committee shall be held in Bombay/Delhi and on such dates as may from time to time be determined by the President of that Committee.

4. Circulation of Agenda Papers.—The papers connected with the agenda for any meeting of a Committee, other than a special meeting thereof, shall be circulated to the members at least three days before the date of the meeting, and in the case of a special meeting such papers shall be circulated, at least one day before the date of meeting.

5. Quorum for transaction of business by a Committee.—To constitute meeting of a Committee, the quorum shall be two-third of the total number of members of the Committee.

6. President of a Committee.—The President of a Committee shall be a member of the Committee appointed as such by the Board.

7. Presiding at meetings.—The president of the Committee shall preside over the meetings of the Committee, and in his absence the members present may choose one from among themselves to preside at such meetings

8. Discussion on items not included in the agenda.—The person presiding at a meeting of a Committee may, at his discretion, include for discussion at the meeting (including a special meeting any item not already included in the agenda, if in his opinion it is of such importance and urgency that it cannot withheld for consideration at any subsequent meeting of the Committee.

9. Decisions at a meeting of a Committee meeting.—All decisions at a meeting of a Committee shall be taken by a majority of the votes of the members present and voting and in case of an equal number of votes for and against the proposal voted upon, the person presiding at the meeting shall have a second or casting vote.

10. Poll.—If a poll is demanded by any member of a Committee, the names of the members voting and the nature of their votes shall be recorded by the person presiding at the meeting.

11. Minutes of the proceedings of a meeting.—(1) The minutes of each meeting of a Committee shall be recorded and shall be signed as soon as may be, after the close of the meeting, by the person presiding at the meeting.

(2) The names of the members present at which such meeting shall be recorded in the minutes.

(3) The minutes of every such meeting shall be placed before the Board at its next meeting.

12. Adjournment of meeting.—The person presiding at a meeting of a Committee may, with the consent of the members present in the meeting, adjourn it to a later date, which date shall either be announced at the meeting, in which case intimation shall be sent to the members absent at the meetings immediately, or communicate to all the members at least three days before such date.

13. Calling of special meetings.—The Chairman of the Board may, on his own motion and shall, upon a written request made by not less than two members of a Committee, call a special meeting or a Committee.

[No. PW/PGL-12/82]

S. P. AMBROSE, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982